



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल
(पंजीयन भवन, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल - 462011)

क्रमांक 832 /सम्पदा गो-लाईव-54 /2015

भोपाल, दिनांक 04.07.2015


प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय - भौतिक स्टाम्पों पर निष्पादित किए गए दस्तावेज अविलम्ब पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि कृपया समस्त अधिवक्ताओं, पक्षकारों, लोक अधिकारियों आदि को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज, जो भौतिक स्टाम्पों पर निष्पादित किए गए हों, अविलम्ब पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएं, क्योंकि शीघ्र ही पंजीयन की मैनुअल प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी और चूंकि सम्पदा ई-पंजीयन के अन्तर्गत ई-पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेज एप्लीकेशन में ही डीड ड्राफ्टिंग मॉड्यूल के तहत तैयार किए जाते हैं, अतः भौतिक रूप से निष्पादित दस्तावेजों का पंजीयन संभव नहीं हो सकेगा।

उक्त निर्देशों का प्रैस-विज्ञप्ति आदि के द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।



(दीपाली रस्तोगी)

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 833 /सम्पदा गो-लाईव - 54 /2015

भोपाल, दिनांक 04.07.2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।